(14)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्रं........ 117 निगरानी R 438 I-17 सन् 2016

बालकिशुन तनय नन्नाई अहीर

नि० ग्राम ढड़ारी तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.-----------अपीलार्थी आवेदक

बनाम

म०प्र०शासन --------------------------- अनावेदक अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि........ को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
S. K. ...
1-2-17

अपील आदेशानुसार न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर के प्र.कं. 291/अपील/अ–1/2006–07 मे दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 24.7.2012 जिसमें अपीलार्थी को विधि के नवीन संशोधनो के आलोक मे सक्षम न्यायालय (मान्नीय राजस्व मण्डल) के समक्ष अपील (निगरानी) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, के पालन मे।

महोदय,

अपीलार्थी (आवेदक) सादर निम्नलिखित विनय करता है :--

अपील के तथ्य

1– यह कि अपीलार्थी (आवेदक) का प्रकरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नं. 1205/6 रकवा 4.36 है0 स्थित ग्राम ढड़ारी तह0 व जिला छतरपुर है जो संवत् 2015 अर्थात् 1958 की खतौनी मे अपीलार्थी के पिता स्व. नन्नाई अहीर के नाम वर्ग–6 गैर हकदार, काश्तकार के रूप में दर्ज थी , अपीलार्थी अपने जीवनकाल मे उक्त भूमि पर वहेसियत स्वामी व आधिपत्यधारी होकर काश्त करता रहा उसके निधन के बाद अपीलार्थी वारिसान हक से उक्त भूमि पर वहेसियत स्वामी व आधिपत्यधारी होकर काश्त करता हुआ वर्तमान मे काबिज काश्त है । परन्तु पिता की मृत्यु के बाद तत्कालीन पटवारी ने सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उक्त भूमि म0प्र0शासन दर्ज कर दी जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी ने बन्दोबस्त के समय बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय मे कार्यवाही की थी तत्पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय मे विधिवत् रूप से कार्यवाही की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27.12.2006 को आदेश पारित किया गया जिससे दुखित होकर माननीय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर के समक्ष विधिवत अपील प्रस्तुत की ।

R 438 I/17 छतरपुर/निगरानी 2
बालकिशन Vs शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/10/18	- आवेदक बालकिशन की ओर से कोई नहीं। - शासन पक्ष की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। - आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है। [signature] 10.10.18	[signature] 10/10/18